**फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों के शमन (कंपाउंडिंग) के लिए आरबीआई के दिशानिर्देश**

भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई/एफईडी/2024-25/78 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 17/2024-25 दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 के माध्यम से “फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों के शमन (कंपाउंडिंग)” के लिए निदेश जारी किए हैं।

निदेश में उल्लंघनों के कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया, कंपाउंडिंग के लिए अपात्र मामलों की सूचना, कंपाउंडिंग की प्रक्रिया और कंपाउंडिंग ऑर्डर से संबंधित मुद्दे आदि के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं।

यह परिपत्र भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर निम्नानुसार उपलब्ध है :-

<https://www.rbi.org.in/scripts/bs_apcircularsdisplay.aspx>